मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-13.09.2017 को अपराह्न 03.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि यह बैठक मुख्य रूप से सभी विभागों में लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों में त्वरित निष्पादन हेतु आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा गत माह में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध दायर CWJC के 743 मामले दायर हुये, जबकि 736 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इसी प्रकार MJC के 112 नये मामले दायर किये गये तथा पूर्व में लम्बित 730 मामलों में से 244 मामलों में कारणपृच्छा दायर किया गया। इसी प्रकार LPA के 54 मामलों में से 38 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए इस क्रम को निरंतर बनाये रखने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लम्बित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अधिक संख्या में प्रतिशपथ-पत्र दायर किये जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। इसी प्रकार, बैठक में CWJC के लम्बित मामलों में परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, एवं पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में खराब प्रदर्शन के लिए असंतोष व्यक्त किया गया तथा इन विभागों को निर्देश दिया गया कि मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में तेजी लाया जाय। समीक्षा के क्रम में MJC के लम्बित मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिक संख्या में कारणपृच्छा दायर करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, जबकि MJC के लम्बित मामलों में स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कारणपृच्छा दायर करने में खराब प्रदर्शन करने के लिए असंतोष व्यक्त किया गया तथा इन विभागों को निर्देश दिया गया कि मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में तेजी लाया जाय।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया गया कि वैसे विभाग, जिनमें प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने का कोई मामला लम्बित नहीं है, तो भी बैठक हेतु प्रतिवेदन विधि विभाग को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

4. सचिव, विधि विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पि0वर्ग एवं अति पि0 वर्ग कल्याण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बैठक हेतु प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नही कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित विभाग अपना प्रतिवेदन ससमय विधि विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि CWJC/MJC में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में यह भी चर्चा की गई कि महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा यदि माननीय न्यायालय में सरकारी सेवकों की सेवा से सम्बन्धित विभागीय मामलों की विभागवार सूची सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिया जाय, तो सेवा से सम्बन्धी मामलों का निबटारा शीघ्र किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सचिव, विधि विभाग को विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि एक ही याचिका में अगर एक से ज्यादा विभाग प्रतिवादी हो तो जो विभाग मुख्य प्रतिवादी हो, वे ही माननीय न्यायालय में विस्तृत प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करें एवं अन्य सम्बन्धित विभाग प्रोफार्मा पार्टी के रूप में माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करें। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संदर्भ में महाधिवक्ता, बिहार से कार्रवाई करने का अनुरोध किये जाने की बात का भी उल्लेख बैठक में किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

ह0/- 18/9/17
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...5583..जे0 पटना, दिनांक-..20/09/17

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/9/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...5583.जे0 पटना, दिनांक-..20/09/17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/9/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।